न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 376/2024

अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. उषा देवी पुत्री मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
2. वर्षादेवी पुत्री मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
3. पिंकी पत्नी सतीशकुमार जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
4. ईशीका पुत्री सतीशकुमार जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
5. हिमांशु पुत्री सुभाषचन्द्र जाति ब्राहमण साकिन करौती तहसील नोहर हाल सी 31 ए अमन अपार्टमेंट दयालबाग कालोनी फरीदाबादा हरियाणा।
6. विपुल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति ब्राहमण साकिन करौती तहसील नोहर हाल सी 31 ए अमन अपार्टमेंट दयालबाग कालोनी फरीदाबादा हरियाणा।
7. ललीता पत्नी सुभाषचन्द्र जाति ब्राहमण साकिन करौती तहसील नोहर हाल सी 31 ए अमन अपार्टमेंट दयालबाग कालोनी फरीदाबादा हरियाणा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा करौती तहसील नोहर के ख.न. 15 की 0.3160, 16 की 0.5190, 17 की 0.3160, 70 की 1.3910, 71 की 1.0760, 72 की 0.4050 कुल 4.0230 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/5 हिस्सा का काबिज खातेदार कास्तकार है एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 146 की 2.9340, 147 की 2.9850 कुल 5.9190 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/10 हिस्सा का काबिज खातेदार कास्तकार हैं एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 143 की 2.8710, 145 की 5.0460 कुल 7.9170 हैक्टेयर भूमि में वादी 1/5 हिस्सा का काबिज खातेदार कास्तकार हैं।

विधादेवी पत्नी मदनलाल (फोत) हो चुकी है जिसके जायज वारीस वादी एवं प्रतिवादी न. 1 ता 2 एवं विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल ही हैं जिसमें विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल फोत हो चुके है जिसमें विजयकुमार पुत्र मदनलाल लावल्द फोत हो चुका है सतीशकुमार के जायज वारीस प्रतिवादी न. 3 ता 4 ही हैं एवं सुभाषचन्द्र के जायज वारीस प्रतिवादी न. 5 ता 7 ही है। प्रतिवादी न. 1 ता 7 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा था वह वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है अब उनका विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है एवं ना [illegible] दित भूमि पर कब्जा है। वादी अपने हक व हिस्सा की भूमि को कास्त कर [illegible] रहा हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी न. 1 ता 7 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा [illegible] वह वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है लेकिन विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी हकूक का हनन होता है इसलिए वादी अपने हकूक की घोषणा करवाकर विवादित

Rahul

भूमि रोही मौजा करौती तहसील नोहर के ख.न. 15 की 0.3160, 16 की 0. 5190, 17 की 0. 3160, 70 की 1.3910. 71 की 1.0760, 72 की 0.4050 कुल 4.0230 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्सा एवं रोही मौजा सोतीबडी तहसील नोहर के ख.न. 146 की 2.9340, 147 की 2.9850 कुल 5.9190 हैक्टेयर मुनि में 1/10 हिस्सा एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 143 की 2. 8710, 145 की 5.0460 कुल 7.9170 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्सा भूमि अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने का अधिकारी हैं यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की रोही मौजा करौती तहसील नोहर के ख.न. 15 की 0.3160, 16 की 0.5190, 17 की 0.3160, 70 की 1.3910. 71 की 1.0760, 72 की 0.4050 कुल 4.0230 हैक्टेयर भुमि में वादी को 1/5 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे एवं मृतक विधादेवी पत्नी मदनलाल, विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल का नाम कलमजन किया जावे एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 146 की 2.9340, 147 की 2.9850 कुल 5.9190 हैक्टेयर मुमि में वादी को 1/10 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावे । मृतक विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल एवं प्रतिवादी न. 1 ता 2 का नाम कलमजन किया जावे। एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 143 की 2. 8710, 145 की 5.0460 कुल 7.9170 हैक्टेयर भूमि में वादी को 1/5 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमावे। मृतक विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल एवं प्रतिवादी न. 1 ता 2 का नाम कलमजन किया जावे। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 2 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी स0 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः प्रतिवादी स0 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण का [illegible] के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

Rahul

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा करौती के खाता स0 47/44 की वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी की माता विधा, वादी के भाई विजयकुमार, विनोदकुमार, सतीश कुमार, सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज है विधा, विजयकुमार, सतीश कुमार, सुभाषचन्द्र का देहान्त हो चुका है इनके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 है एवं इनके द्वारा अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर दिया गया है एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 82/82 की की भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 व विजयकुमार, सतीश कुमार, सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज है उक्त भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 2 व विजयकुमार, सतीश कुमार, सुभाषचन्द के वारिसान द्वारा उक्त भूमि में से अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष मे त्याग कर दिया गया है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी अकेला काबिज है जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण स0 2 ता 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा करौती के खाता स0 47/44 की भूमिं वादी की माता विधा, वादी के भाई विजयकुमार, विनोदकुमार, सतीश कुमार, सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के खाता स0 82/82 की की भूमि वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 व विजयकुमार, सतीश कुमार, सुभाषचन्द्र के नाम दर्ज है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा विधा देवी के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी का कथन है कि की प्रतिवादी स0 1 ता 2 व विजयकुमार, सतीश कुमार, सुभाषचन्द्र के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 द्वारा अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जा चुका है लेकिन प्रतिवादी स 1 द्वारा अपने हक हिस्सा का त्याग वादी के पक्ष मे किया गया है का वादी द्वारा मात्र कथन किय गया है अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे प्रतिवादी स0 1 का वादी के पक्ष में हक त्याग [illegible] वादी आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है। अतः वाद वादी साक्ष्य [illegible] के आधार पर साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा

Rahul

करौती तहसील नोहर के ख.न. 15 की 0.3160, 16 की 0.5190, 17 की 0.3160, 70 की 1.3910, 71 की 1.0760, 72 की 0.4050 कुल 4.0230 हैक्टेयर भुमि में वादी को 24/125 हिस्सा का एवं प्रतिवादी स0 1 को 1/125 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक विधादेवी पत्नी मदनलाल, विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 146 की 2.9340, 147 की 2.9850 कुल 5.9190 हैक्टेयर मुमि में वादी को 1/12 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल एवं प्रतिवादी न. 2 का नाम कलमजन किया जाता है प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 143 की 2.8710, 145 की 5.0460 कुल 7.9170 हैक्टेयर भूमि में वादी को 1/6 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल एवं प्रतिवादी न. 2 का नाम कलमजन किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/12/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:15 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 376 / 2024
अनवान : –

1. विनोद कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. उषा देवी पुत्री मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
2. वर्षादेवी पुत्री मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
3. पिंकी पत्नी सतीशकुमार जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
4. ईशीका पुत्री सतीशकुमार जाति ब्राहमण निवासी करौती तहसील नोहर।
5. हिमांशु पुत्री सुभाषचन्द्र जाति ब्राहमण साकिन करौती तहसील नोहर हाल सी 31 ए अमन अपार्टमेंट दयालबाग कालोनी फरीदाबादा हरियाणा।
6. विपुल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति ब्राहमण साकिन करौती तहसील नोहर हाल सी 31 ए अमन अपार्टमेंट दयालबाग कालोनी फरीदाबादा हरियाणा।
7. ललीता पत्नी सुभाषचन्द्र जाति ब्राहमण साकिन करौती तहसील नोहर हाल सी 31 ए अमन अपार्टमेंट दयालबाग कालोनी फरीदाबादा हरियाणा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 376 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री हवासिंह पूनियां एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करौती तहसील नोहर के ख.न. 15 की 0.3160, 16 की 0.5190, 17 की 0.3160, 70 की 1. 3910. 71 की 1.0760, 72 की 0.4050 कुल 4.0230 हैक्टेयर भुमि में वादी को 24 / 125 हिस्सा का एवं प्रतिवादी स0 1 को 1 / 125 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक विधादेवी पत्नी मदनलाल, विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल का नाम कलमजन किया जाता है एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 146 की 2.9340, 147 की 2.9850 कुल 5.9190 हैक्टेयर मुमि में वादी को 1 / 12 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल एवं प्रतिवादी न. 2 का नाम कलमजन किया जाता है प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा यथावत रहेगा एवं रोही मौजा सोतीबड़ी तहसील नोहर के ख.न. 143 की 2.8710, 145 की 5.0460 कुल 7.9170 हैक्टेयर भूमि में वादी को 1 / 6 हिस्सा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है एवं मृतक विजयकुमार, सतीशकुमार, सुभाषचन्द्र पुत्रगण मदनलाल एवं प्रतिवादी न. 2 का नाम कलमजन किया जाता है एवं प्रतिवादी स0 1 का हिस्सा यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने [illegible] सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड [illegible] दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....24/12/25.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर